

अध्यादेश संख्या – 27

क्रीड़ा समिति

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 28(1) (0) के तहत]

1. विश्वविद्यालय की एक क्रीड़ा समिति होगी जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सदस्य होंगे :
 - i. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, जो इसके अध्यक्ष भी होंगे;
 - ii. कुलपति द्वारा नामित दो ख्यातिलब्ध खिलाड़ी;
 - iii. विभिन्न खेल क्लबों के अध्यक्ष, यदि कोई उपलब्ध हों तो;
 - iv. नामांकित विद्यार्थियों में से समिति के अध्यक्ष द्वारा एक वर्ष के लिए नामित एक-एक उत्कृष्ट पुरुष और महिला खिलाड़ी;
 - v. शारीरिक शिक्षा का निदेशक या कुलपति द्वारा नामित कोई भी एक व्यक्ति जो खेल समिति का पदेन सदस्य होगा।
2. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :
 - i. विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कदम उठाना ;
 - ii. विश्वविद्यालय के खेलों की व्यवस्था और निगरानी करना तथा इस संबंध में नियमों का निर्माण करना;
 - iii. खेलकूद विषयक आवश्यकताओं के लिए बजट प्रस्तावित करना ;
 - iv. विभिन्न क्लबों के लिए वित्तीय आवंटन करना;
 - v. विश्वविद्यालय के खेल-मैदान, व्यायामशाला, तरणताल और खेलकूद विषयक अन्य सुविधाओं की देखरेख करना;
 - vi. खेलकूद के मुकाबलों, प्रतियोगिताओं, टूर्नामेंटों और एथलेटिक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन/व्यवस्था करना;
 - vii. इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जब विश्वविद्यालय से अंतर विश्वविद्यालयी क्रीड़ा प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने को कहा जाए तो समिति को ऐसे आयोजन करने होंगे। अगर आवश्यकता हो तो दूसरे खेलकूद टूर्नामेंट भी आयोजित करने होंगे;
 - viii. विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अन्य विभिन्न सह-समितियों की नियुक्ति करना;
 - ix. समिति द्वारा निर्धारित किये गये मानदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तरीय खेल और अन्य प्रतियोगिताओं के लिए विश्वविद्यालय की टीम का चयन करना;
 - x. खेल कोटे के तहत प्रवेश हेतु सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी/खिलाड़ियों को नामित किये जाने के लिए कुलपति के समक्ष अनुशंसा करना;
 - xi. कुलपति से प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधाओं/वजीफा आदि के लिए किसी अत्यन्त प्रतिभाशाली खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा करना; और
 - xii. समय-समय पर कार्य परिषद/शैक्षणिक परिषद/और कुलपति द्वारा सौंपे गए इसी प्रकार के दूसरे कार्य निष्पादित करना।
3. छात्र कल्याण अधिष्ठाता के निर्देशन में शारीरिक शिक्षा के निदेशक बजट को संचालित करेंगे।
4. अध्यक्ष के निर्देशन में समिति दो महीने में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करेगी।
5. समिति के एक तिहाई सदस्य समिति की बैठक हेतु अपेक्षित गणपूर्ति को पूरा करेंगे।
6. समिति प्रत्येक वर्ष के 30 जून से पहले कार्य परिषद को निम्नलिखित चीजें सौंपेगी—
 - i. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संपन्न गतिविधियों की एक विस्तृत रिपोर्ट;
 - ii. पिछले वित्तीय वर्ष से संबद्ध आय और व्यय का निर्धारित प्रारूप में व्यौरा;

- iii. 31 मार्च तक बकाया अग्रिमों का ब्यौरा और विस्तृत टिप्पणियां कि ये अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व क्यों नहीं समायोजित किये गए।
7. 30 नवम्बर से पहले प्रत्येक वर्ष समिति, कार्य परिषद् को आगामी वित्तीय वर्ष का वित्तीय आंकलन प्रस्तुत करेगी। यह आंकलन अपेक्षित व्याख्यात्मक आंकलन के साथ रहेगा। खेलकूद संगठन के कामकाज से संबद्ध कोई भी शिकायत क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष के संज्ञान में लाई जानी चाहिए। क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष के निर्णय से असंतुष्ट इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी या विद्यार्थी कुलपति के समक्ष अपील कर सकते हैं।

ORDINANCE NO. 27

GAMES AND SPORTS COMMITTEE

(Under Section 28 (1) (o) of the Central Universities Act 2009)

1. There shall be a Games and Sports Committee consisting of the following members, namely:
 - i. The Dean of Students' Welfare, who shall be the Chairperson;
 - ii. Two prominent sportspersons to be nominated by the Vice-Chancellor;
 - iii. Presidents of various Games and Sports Clubs, if any;
 - iv. One Outstanding Sportsman and One Outstanding Sportswoman from among the students on rolls, nominated by the Chairperson for a period of one year; and
 - v. The Director of Physical Education or any one nominated by the Vice-Chancellor, who shall be the Ex-Officio Member-Secretary of the Games and Sports Committee.
2. The Committee shall:
 - i. take measures to attract the sports talent available in the University;
 - ii. make arrangements and supervise the games and sports of the University and frame Regulations in this regard;
 - iii. propose the budgetary requirements for games and sports;
 - iv. allocate finances to the various Clubs;
 - v. maintain the play-grounds, gymnasias, swimming pools and other sports facilities of the University;
 - vi. hold / organise contests, competitions, tournaments, athletic meets etc.;
 - vii. conduct Inter-University Tournaments whenever the University is called upon to do so by the Inter-University Sports Board of India, and other sports Tournaments if and when necessary;
 - viii. appoint various sub-committees for the conduct of University tournaments;
 - ix. select University teams based on the criteria fixed by the Committee, for the Inter-University and other tournaments;
 - x. recommend to the Vice-Chancellor the names of outstanding players/sportspersons to be nominated for admission under sports quota, if any;
 - xi. recommend to the Vice-Chancellor names of the Outstanding player/Sportspersons for training/ coaching facilities / stipend, if any; and
 - xii. perform such other functions, as may be assigned to it by the Executive Council/Academic Council/ Vice-Chancellor from time to time.

3. The Director of Physical Education will operate the budget under the supervision of the Dean of Students' Welfare.
4. The Committee shall hold its meetings at least once in two months under the supervision of the Chairperson.
5. One-third of the total members shall form the quorum for a meeting of the Committee.
6. Before 30th June every year, the Committee shall submit to the Executive Council:
 - i. a detailed report of its activities during the previous financial year;
 - ii. a statement of income and expenditure in the required form for the previous financial year;
 - iii. a statement of advances outstanding on 31st March and detailed remarks as to why these advances were not adjusted before the end of the year.
7. Before 30th November every year, the Committee shall submit to the Executive Council financial estimates for the ensuing financial year, these estimates shall be accompanied by necessary explanatory schedules.

Any grievance about the working of the organisation of games and sports should be brought to the notice of the Chairperson, Sports Committee. Employee(s) or Student(s) of the University dissatisfied with his/her decision may appeal to the Vice-Chancellor.